समाहरणालय,बक्सर
(जिला शस्त्र शाखा)

Phone:- 06183-222336(O), 222335(R)
Fax:- 06183-226935(O),222331(R)
E-mail ID:- dm-buxar.bih@nic.in

****

आदेश

एत्त द्वारा सूचित किया जाता हैं कि बक्सर जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रो का सत्यापन वर्ष–2018 का निर्धारित तिथि को कराना सुनिश्चित करे। शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रो के सत्यापन उपरांत सत्यापित शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष–2019 से 2021 हेतु चालान जमा किया जाएगा।

अतः सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु थानावार निम्नवत तिथि निर्धारित करते हुए दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :–

क्र0	थाना का नाम	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी	निरीक्षण की तिथि
1	बक्सर मुफसिल	अंचलाधिकारी, चौसा	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
2	बक्सर (औ0)	अंचलाधिकारी, बक्सर	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
3	बक्सर नगर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
4	धनसोई	अंचलाधिकारी, राजपुर	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
5	राजपुर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
6	इटाढ़ी	अंचलाधिकारी, इटाढ़ी	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
7	ब्रह्मपुर	अंचलाधिकारी, ब्रह्मपुर	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
8	बगेन गोला	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
9	सिमरी	अंचलाधिकारी, सिमरी	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
10	डुमराँव	अंचलाधिकारी, डुमराँव	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
11	कृष्णाब्रह्म	अंचलाधिकारी, चक्की	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
12	कोरानसराय	अंचलाधिकारी, केसठ	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
13	नावानगर	अंचलाधिकारी, नावानगर	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
14	सिकरौल	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमराँव	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
15	मुरार	अंचलाधिकारी, चौगाई	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018
16	नैनीजोर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चक्की	22.11.18,23.11.18 एवं 27.11.2018

उपरोक्त प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर पूर्वाहन् **11** बजे से अपराहन् **04** बजे तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे। साथ ही जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर शस्त्र अनुज्ञप्ति की नवीकरण करने अथवा नही करने की स्पष्ट अनुशंसा के साथ संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी0 आर0 नं0 अंकित करेंगें तथा दो दिनों के अन्दर सत्यापन प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस जिला में संधारित शस्त्र पंजी में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर थानावार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची संबंधित थाना को पूर्व से उपलब्ध करायी जा चुकी है। सूची में अंकित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति द्वारा यदि शस्त्र धारण किया जाता हो और उसकी प्रविष्टि संलग्न सूची में नहीं हो तो वैसे अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में भी संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा सत्यापन प्रतिवेदन में यह अंकित किया जायेगा कि संबंधित का नाम संलग्न सूची एवं थाना अभिलेख में नहीं हैं। साथ ही मृत अनुज्ञप्तिधारियो की सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुज्ञाप्तिधारी धारित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्र सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत् अनुज्ञप्ति **निलंबित/रद्द** करने की कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
राघवेन्द्र सिंह
(भा0प्र0से0)
जिला दण्डाधिकारी,बक्सर

ज्ञापांक 09-0718 /बक्सर, शस्त्र दिनांक 15 वी नवम्बर, 2018

प्रतिलिपिः– सभी थानाध्यक्ष बक्सर जिला को निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञापित शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्ति पुस्तिका एवं अनुज्ञापित शस्त्र के साथ निर्धारित तिथि को थाना पर उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से सूचना प्रसारित करेंगे।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बक्सर / अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर / डुमराँव / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर / डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी वेतार संवाद, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि शस्त्र निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि की सूचना सभी थानाध्यक्ष, बक्सर जिला को वेतार संवाद द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि शस्त्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि की सूचना सभी स्थानीय समाचार पत्रों में तीन दिनों तक प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेगें।

R.Sing 15/11/18

राघवेन्द्र सिंह
(भा0प्र0से0)
जिला दण्डाधिकारी,बक्सर

ज्ञापांक 09-0718 /बक्सर, शस्त्र दिनांक 15 वी नवम्बर, 2018

प्रतिलिपिः– आयुक्त पटना प्रमण्डल,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

R.Sing 15/11/18

राघवेन्द्र सिंह
(भा0प्र0से0)
जिला दण्डाधिकारी,बक्सर

शस्त्र सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र :–

क्र0	नाम	पिता का नाम/पता	थाना	अनुज्ञप्ति सं0	वर्ष	अनुज्ञप्ति निर्गत करनेवाले पदा0 का नाम	शस्त्र विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

शस्त्र सं0	कारतुस क्रय की क्षमता		अनुज्ञप्ति का वैद्य क्षेत्र	प्रतिधारक का नाम/पता	अनुज्ञप्ति की वैद्यता/ नवीकरण	शस्त्र सत्यापन का वर्ष	पंजी का नाम	पंजी सं0
	अधिकतम एक समय में	अधिकतम पूरे वर्ष में						
9	10	11	12	13	14	15	16	17